

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
व्यापार सौदों से लाभ

2912. डॉ. के. सुधाकर:

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश अवसरों के संदर्भ में किए गए विभिन्न व्यापार सौदों से प्रत्याशित विशिष्ट लाभ क्या हैं;
- (ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि व्यापार समझौते से घरेलू उद्योगों और विशेषकर एमएसएमई और कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े;
- (ग) देश द्वारा वर्तमान में किए जा चुके और समझौता वार्ता के अधीन सभी व्यापार सौदों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) इन व्यापार सौदों के परिणामस्वरूप निर्यात और आयात के संदर्भ में प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या कृषि उपज के संबंध में वर्तमान में कोई निर्यात प्रतिबंध लागू है, और
- (छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कृषि निर्यात बढ़ाने और कृषि आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) मुख्य रूप से संबंधित व्यापारिक साझेदार देशों के साथ किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य बाजार पहुंच के दायरे को बढ़ाना और व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापार अनुपूरकताओं का निर्माण करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है, जिससे निर्यात क्षमता में वृद्धि होती है, उद्योग के साथ-साथ किसानों के लिए लाभकारी और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। किसी भी व्यापार सौदे पर सभी हितधारकों को निष्पक्षता और पारस्परिकता और समग्र लाभ के सिद्धांत के आधार पर एक व्यापक, संतुलित, व्यापक-आधारित और न्यायसंगत समझौता देने के प्रयास के साथ वार्ता की जाती है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एक समान अवसर भी सुनिश्चित करता है, जिनकी हमारे व्यापारिक साझेदार देशों में अधिमान्य पहुंच हो सकती है।

(ख): लघु और मध्यम उद्यमों और कृषि क्षेत्र सहित घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, एफटीए उन वस्तुओं की संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्कृत सूचियों के अनुरक्षण रखने का प्रावधान करता है जिन पर सीमित या कोई शुल्क रियायत नहीं दी जाती है। इसके अलावा, आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को नुकसान के मामले में, एक देश को एफटीए के तहत पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत

अवधि के भीतर आयात पर एंटी-डंपिंग और सुरक्षा उपायों जैसे व्यापार उपचारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है।

(ग): भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 14 एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक समझौते, नामतः भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) का क्रियान्वयन भारत और ईएफटीए देशों द्वारा अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। हस्ताक्षरित एफटीए और चल रहे एफटीए का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ): कार्यान्वयन वर्ष और 2023-24 के लिए तुलनात्मक निर्यात और आयात का विवरण अनुलग्नक - II में दिया गया है। इसके अलावा भारत में अपने मौजूदा एफटीए, नामतः भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा भी शुरू कर दी है।

(ड.) घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, भारत सरकार ने कई पहल की हैं। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद आदि जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं, जहां आयात पर काफी निर्भरता है। सरकार ने कम गुणवत्ता वाले आयातों पर अंकुश लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन के लिए सख्त गुणवत्ता मानक और उपाय भी लागू किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने गैर-व्यापार बाधाओं के समाधान, मौजूदा एफटीए की समीक्षा शुरू करने, आयात निगरानी के लिए अनुकूल कार्यनीतियों का अध्ययन करने, उनकी पहचान करने, वर्गीकृत करने और विकसित करने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत टास्क फोर्स जैसे कई कदम उठाए हैं।

(च) और (छ): कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से अपने पंजीकृत निर्यातकों को अपने अनुसूचित उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में अपने सदस्य निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाता है। इसके अलावा, यह इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से प्रमुख व्यापार मेलों के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के प्रचार और ब्रांडिंग के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान को सहयोग प्रदान करता है।

जहां तक आयात में कमी का संबंध है, सरकार ने प्रमुख आयातित मदों तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू किया है। इसमें जलवायु अनुकूल बीजों के विकास और इनकी वाणिज्यिक उपलब्धता, उत्पादकता बढ़ाने, फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार की परिकल्पना की गई है। सरकार ने रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ ही कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसिड्स (एनएमईओ-ऑयलसिड्स) भी शुरू किया है। इसके अलावा, पीएम धन धान्य कृषि योजना जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए कम उत्पादकता, मध्यम फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगी, की शुरुआत से कृषि उत्पादन बढ़ाने और इस क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी

दिनांक 18.03.2025 के उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2912 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की सूची

| क्र.सं. | समझौते का नाम |
|---------|--|
| 1 | भारत - श्रीलंका एफटीए |
| 2 | साफ्टा पर समझौता (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान) |
| 3 | भारत नेपाल व्यापार संधि |
| 4 | भारत-भूटान व्यापार वाणिज्य और पारगमन समझौता |
| 5 | भारत - थाईलैंड एफटीए - अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस) |
| 6 | भारत - सिंगापुर सीईसीए |
| 7 | भारत - आसियान - सीईसीए - माल, सेवामें व्यापार और निवेश समझौता (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) |
| 8 | भारत - दक्षिण कोरिया सीईपीए |
| 9 | भारत - जापान सीईपीए |
| 10 | भारत - मलेशिया सीईसीए |
| 11 | भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) |
| 12 | भारत-यूई सीईपीए |
| 13 | भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंड -ऑस ईसीटीए) |
| 14 | भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) |

अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) की सूची

| क्र. सं. | समझौते का नाम |
|----------|---|
| 1 | एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए) (बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, श्रीलंका और मंगोलिया) |
| 2 | वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली (जीएसटीपी) |

| | |
|---|--|
| | (अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेनिन, बोलीविया, ब्राजील, कैमरून, चिली, क्यूबा, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इक्वाडोर, मिस्र, घाना, गिनी, गुयाना, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया, तंजानिया, उरुग्वे, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे) |
| 3 | सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता (एसएपीटीए) (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) |
| 4 | भारत - अफगानिस्तान पीटीए |
| 5 | भारत - मर्कोसुर पीटीए (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे) |
| 6 | भारत - चिली पीटीए |

भारत के चालू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

| क्र.सं. | समझौते का नाम |
|---------|--|
| 1 | भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता |
| 2 | भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता |
| 3 | भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता |
| 4. | भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता |
| 5. | भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता |
| 6. | भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) |

अनुलग्नक -II

दिनांक 18.03.2025 के उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2912 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एफटीए साझेदार देशों के साथ भारत का पण्यवस्तु व्यापार (कार्यान्वयन वर्ष और 2023-24)

(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

| क्र. सं. | समझौते का नाम | कार्यान्वयन के शुरुआत का वर्ष | निर्यात/आयात | वर्ष | |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | कार्यान्वयन के शुरुआत का वर्ष | 2023-24 |
| 1 | दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) संबंधी समझौता | 2006-07 | भारत से निर्यात | 6,473.81 | 25,623.66 |
| | | | भारत में आयात | 1,507.45 | 5,171.01 |
| 2 | भारत-आसियान सीईसीए - माल, सेवा व्यापार और निवेश समझौता | 2010-11 | भारत से निर्यात | 25,627.89 | 41,207.67 |
| | | | भारत में आयात | 30,607.96 | 79,664.31 |
| 3 | भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) | 2010-11 | भारत से निर्यात | 3,727.29 | 6,416.67 |
| | | | भारत में आयात | 10,475.29 | 21,135.38 |
| 4 | भारत-जापान सीईपीए | 2011-12 | भारत से निर्यात | 6,328.54 | 5,156.28 |
| | | | भारत में आयात | 11,999.43 | 17,695.52 |
| 5 | भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) | 2021-22 | भारत से निर्यात | 714.85 | 778.03 |
| | | | भारत में आयात | 71.87 | 73.1 |
| 6 | भारत-यूईई सीईपीए | 2022-23 | भारत से निर्यात | 31,608.79 | 35,625.02 |
| | | | भारत में आयात | 53,231.55 | 48,025.58 |
| 7 | भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंड -ऑस ईसीटीए) | 2022-23 | भारत से निर्यात | 6,951.32 | 7,940.75 |
| | | | भारत में आयात | 19,011.31 | 16,159.20 |
| कुल निर्यात | | | | 81,432.49 | 1,22,748.08 |
| कुल आयात | | | | 1,26,904.86 | 1,87,924.10 |

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

* एफटीए के कार्यान्वयन वर्ष से 2023-24 तक निर्यात में 51% और आयात में 48% की व्यापार वृद्धि।

नोट : जिन देशों अर्थात भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया के साथ अलग-अलग एफटीए निष्पादित किए गए हैं, उन्हें सूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि वे भी ऊपर सूचीबद्ध क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) में से एक का हिस्सा हैं, ताकि आंकड़ों की दोहरी गणना से बचा जा सके।
